राजस्थान सरकार

न्यायालय तहसीलदार गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

प्रकरण संख्या 30 / 2024

प्रार्थी / सायल	**बनाम**	**गैर सायल**
राजस्थान सरकार जरिये हल्का पटवारी **सिंधासवा** हरनियान		मांगीलाल पुत्र कोजाराम जाति विश्नोई निवासी पादरड़ी खुर्द तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

प्रकरण अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू –राजस्व अधिनियम 1956

दिनांक 26.12.2024

निर्णय

प्रकरण से संक्षिप्त में तथ्य निम्न प्रकार है कि पटवारी हल्का सिंधासवा हरनियान ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा पादरड़ी खुर्द के ख.न. **465 / 1** रकबा **0.0243** हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन रास्ता(राजकीय भूमि) में से **0.0243 हैक्टैयर** पर अनाधिकृत कब्जा कर अतिक्रमी द्वारा बाड़ बनाकर अतिक्रमण / अतिचार किया है। अतः गैर सायल के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने तथा उक्त भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया।

सुनवाई की नियत तिथि दिनांक 08.11.2024 को हल्का पटवारी उपस्थित, गैर सायल अनुपस्थित। गैर सायल की ओर से अधिवक्ता श्री नारायण कुमावत द्वारा वकालातनामा पेश कर जवाबदावा हेतु समय चाहा गया। गैर सायल(गैर सायल की ओर नियुक्त अधिवक्ता श्री नारायण कुमावत) को सुनवाई अवसर दिया जाकर पत्रावली 26.12.2024 पेश हुई। गैर सायल को सुनवाई का बार–बार मौका देने व खुले न्यायालय में तीन बार तीन–तीन आवाज लगाने के तदुपरान्त अनुपस्थित रहे। गैर सायल द्वारा कोई जवाबदावा प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः गैर सायल द्वारा कोई ठोस जवाब प्रस्तुत नहीं करने व नियत सुनवाई की तिथि को अनुपस्थित रहने से कार्यवाही एक तरफा अमल में लाई जाती है।

हमने पत्रावली का अध्ययन एवं अवलोकन किया। प्रश्नगत भूमि किस्म गैर मुमकिन रास्ता(सरकारी भूमि) है जिस पर गैर सायल का अनाधिकृत कब्जा साबित होता हैं। अतः गैर सायल को उक्त भूमि का अतिक्रमी घोषित किया जाकर लगान 0.01 का राउण्ड अप 1 रूपये का 50 गुना शास्ति आरोपित करते हुए 50 रूपये का जुर्माना आरोपित किया जाता है। गैर सायल् को उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते हैं तथा अनाधिकृत रूप से किये गये कब्जे को हटाकर भूमि को सरकारी तहवील में लेने तथा नियमानुसार जुर्माना वसूल कर जुर्माना राशि राजकोष में जमा करवाने के आदेश दियें जाते है। बेदखली एवं जुर्माना वसूली हेतु हल्का पटवारी, भू.अ.नि. [illegible] कार्यवाही हेतु तहसील राजस्व लेखाकार सूचित हो।

निर्णय आज दिनांक 26.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल [illegible] हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram Bishnoi
Date: 2025.01.31 15:54:38 IST
Reason: SelfAttested

(भागीरथराम)
तहसीलदार गुड़ामालानी
जिला-बाड़मेर